भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1979

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से अपरदन की समस्या

1979. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा कारित अपरदन की समस्या की जानकारी है जिसके कारण भूमि, जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है तथा हजारों लोग बेघर हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुर्शिदाबाद जिले में अपरदन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): सरकार को मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा होने वाले कटाव की समस्या की जानकारी है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 730 हेक्टेयर भूमि में फरक्का, शमशेरगंज, सुति-I एवं II, रघुनाथगंज-II, लालगोला, भवनगोला I एवं II, रानीनगर-II, जलनगी ब्लॉक और धुलियान नगर पालिका को शामिल करते हुए मुर्शिदाबाद जिले में गंगा-पदमा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 2005 से 2019 के बीच की अवधि के दौरान कम कर दिया गया।

(ख) और (ग): कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी दिशा-निर्देश उपलब्ध करवा करके और जोखिम भरे क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहक वित्तीय सहायता से भी राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

वर्ष 2017-2020 के दौरान, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग (आई एवं डब्ल्यूडी) ने मादला, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले को शामिल करते हुए नदी को बचाने के लिए 21 जोखिम भरे स्थानों को पूरा किया। वर्ष 2019-20 के दौरान, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने इन जिलों में गंगा-पदमा नदी के गंभीर स्थानों में अवरोधक कटाव के लिए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2021-22 की मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान शमशेरगंज में गंगा-पदमा नदी, फरक्का, भगवानगोला-I और मुर्शिदाबाद जिले में जलनगी ब्लॉक के गंभीर स्थानों पर 4525 मीटर की कुल लंबाई के लिए तट सुरक्षा कार्य राज्य बजट के तहत अनुमोदित किए गए हैं।

फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, फरक्का बैराज परियोजना ने अपने क्षेत्राधिकार के गंभीर स्थानों में भी नदी तट बचाव कार्य शुरू किए हैं।

*****